O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Recd. No. 4461
Date 21 SEP 2023
AGM (IT)
SE (O)/SE
EE
Section

CSPTCL

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

सी.आई.एन:– U40108CT2003SGC015820

कार्या :– कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)

क्रमांक :– 01–01 / अ.प्र.क. / 09 / 2023 / 4783 रायपुर, दिनांक 15 SEP 2023

(अपील प्रकरण क्रमांक 09 / 2023)

श्री कृपाराम सक्सेना अपीलार्थी
चांपा

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

–:: आदेश ::–

(दिनांक 15/09/2023 को पारित)

अपीलार्थी श्री कृपाराम सक्सेना द्वारा यह लेख करते हुए कि जनसूचना अधिकारी द्वारा भ्रामक जानकारी प्रदान की गई है। अतएव सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है।

(2) – प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :–

(I)	सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी / दस्तावेज ।	(1) (माननीय महिला आयोग) के संदर्भित नोटशीट के सरल क्रमांक 6 में कृपाराम सक्सेना परी.सहा.श्रेणी–एक के विरूद्ध लेख आरोप का प्रमाण श्रीमती ममता खरसन कार्या. सहा. विद्युत जनरेशन कंपनी मड़वा (चांपा) से दिलाएँ। (2) मानव संसाधन ट्रांस. / जनरेशन से उस नियम कानून की जानकारी दिलाएँ जिसके अंतर्गत श्रीमती ममता खरसन महिला कर्मचारी द्वारा पुरूष कर्मचारी पर लगाया गया आरोप कदाचरण (अपराध) की श्रेणी में आता है।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील :–	मूल आवेदन में चाही गई जानकारी के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया नियम की प्रति 100 प्रतिशत भ्रामक है। अतएव न्याय की आशा में प्रार्थना पत्र सादर प्रस्तुत है।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :–
		24.08.2023	जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहें। अतः अपील में गुण–दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क / कथन :–		अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार जानकारी ट्रांसमिशन कंपनी के अतिरिक्त जनरेशन कंपनी से भी संबंधित होने के कारण, जनसूचना अधिकारी कार्या0 –मुख्य अभियंता (मा.सं.), छ.ग.स्टे.पॉ.जन. कंपनी लिमि, रायपुर को धारा 6(3) के अंतर्गत समय–सीमा में प्रकरण अंतरित किया गया है जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है। यद्यपि ट्रांस. कंपनी से संबंधित जानकारी के संबंध में धारा 5(5) के अनुसार संबंधित प्रभाग के DPIO से सहायता ली गई। DPIO द्वारा

			बिन्दुवार कुल 13 छाया पृष्ठों की जानकारी उपलब्ध करायी गई। अतएव पत्र कमांक 2016 दिनांक 20.04.2023 के माध्यम से अपीलार्थी से धारा 7(1) के अंतर्गत निर्धारित अभिलेख शुल्क प्राप्त कर, कुल 13 पृष्ठों की जानकारी उपलब्ध करायी गई है। सूचनाधिकार के अंतर्गत कार्यालय में उपलब्ध दस्तावजों के आधार पर अपीलार्थी को 13 पृष्ठों की जानकारी उपलब्ध करायी गई है। अतएव अपीलार्थी का यह अपील कथन कि उन्हे जो जानकारी उपलब्ध करायी गई है पूर्णतः भ्रामक है, जो तर्क संगत नहीं है।

(3) – प्रकरण में आये तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा तालिका 02 (1) में चाही गई बिन्दु 02 की जानकारी के संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा तालिका (IV) में दिये गये तर्क से यह स्पष्ट होता है कि धारा 5(5) के अनुसार कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अपीलार्थी को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निर्वारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 की प्रति उपलब्ध करायी गई है, जो तर्क संगत है।

उल्लेखनीय है कि अधिनियम के प्रावधानुसार वांछित जानकारी / दस्तावेज जिस रूप में है उसी रूप में ही यथास्थिति उपलब्ध कराया जाना है। अतः जनसूचना अधिकारी द्वारा धारा 5(5) का पालन कर बिन्दु कमांक 02 की जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गई है, इसमें कोई शंका नहीं है।

जहॉ तक बिन्दु कमांक 01 का प्रश्न है अपीलार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में स्वयं ही स्पष्ट किया गया है कि (मान. महिला आयोग से प्राप्त नस्ती कमांक 526/22) संदर्भित नोटशीट के सरल कमांक 06 में कृपाराम सक्सेना परी.सहा.श्रेणी–एक के विरूद्ध लेख आरोप का प्रमाण श्रीमती ममता खरसन कार्या.सहा. विद्युत जनरेशन कंपनी मड़वा (चांपा) से दिलाएँ के संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रतिलिपि अपीलार्थी को पृष्ठांकित करते हुए प्रकरण मुख्य अभियंता (मा.सं.), छ.ग.स्टे.पॉ.जन.कं.लिमि, रायपुर को धारा 6(3) के अंतर्गत अंतरित किया गया है। अतः उक्त बिन्दु की जानकारी पॉवर जनरेशन कंपनी के मानव संसाधन कार्यालय में संपर्क कर तथा माननीय छ.ग. राज्य, महिला आयोग, रायपुर के कार्यालय में नियमानुसार पृथक आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त की जा सकती है।

उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा कर्तव्य का वहन किया गया है। अतः जनसूचना अधिकारी का पक्ष एवं कृत कार्यवाही अधिनियम के अधीन होने के कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। अतः अपील प्रकरण पं.क. 09/2023 दिनांक 28.07.2023 समाप्त कर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

15/9/23

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक– 0771– 2574700

प्रतिलिपि :–(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर।
(2) उप महाप्रबंधक (मा.सं.) –तीन, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि. रायपुर ।
(3) श्री कृपाराम सक्सेना, जगदल्ला चांपा, जिला –जांजगीर–चांपा (छ.ग.) ।
(4) कार्यपालक निदेशक (EITC) छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर– उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव, छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग, अटल नगर, नवा रायपुर